<u>न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)</u>

रा.प्र.क्रं.– **0127/अ–20(3)/वर्ष 2024–25**
मौजा– बरखेरा खुमान प.ह.नं. 28
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

EMIL
MINES AND MINERAL RESOURCES LIMITED
PROJECT HEAD- SHATRUJIT KUMAR

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

<u>!! आदेश !!</u>

(पारित दिनांक 24/12/2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक EMIL MINES AND MINERAL RESOURCES LIMITED, PROJECT HEAD- SHATRUJIT KUMAR द्वारा ग्राम **बरखेरा खुमान** तहसील व जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 28 **खसरा नंबर 667 रकवा 75.76 हे. में से 52.78 हेक्टेयर** भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटन किये जाने बाबत आवेदन पत्र ऑनलाईन दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर (राजस्व) को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा तहसीलदार, सागर–ग्रामीण से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

तहसीलदार, सागर–ग्रामीण द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया गया। ग्राम पंचायत बरखेरा खुमान के ग्राम सभा प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा उक्त भूमि वन विभाग में दिये जाने में सहमति दी है। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार **ग्राम बरखेरा खुमान स्थित भूमि खसरा नंबर 667 रकवा 75.76 हेक्टेयर** भूमि मध्यप्रदेश राज्य शासन मद पहाड़ चट्टान (इमारती लकड़ी अथवा ईधन हेतु सुरक्षित) दर्ज है। मिसल बंदाबस्त वर्ष 1992 के अनुसार खसरा नंबर 667 जिसका पुराना खसरा नंबर 422 रकवा 75.76 हेक्टेयर पहाड्–चट्टान दर्ज है। आवेदित भूमि पर कालान्तर में पट्टा जारी नही हुआ है। ग्राम के चरोखर का रकवा 98.41 हेक्टेयर है। 2% प्रतिशत के मान से चरनोई का रकवा सुरक्षित रखने पश्चात् चरनोई का रकवा 09.86 हेक्टेयर शेष रहेगा। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/6–101/2019/सात–3 भोपाल दिनांक 05.01.2021 की कंडिका 05 में व्यय संबंधित निर्देश उल्लेखित है। उक्त भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन वरिष्ठ जिला पंजीयक जिला सागर से कराया गया। प्रतिवेदन अनुसार **ग्राम बरखेरा खुमान स्थित भूमि खसरा नंबर 667 रकवा 75.76 हेक्टेयर में से रकवा 52.78 हेक्टेयर** की कीमत कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार प्रति हेक्टेयर सिंचित 8,84,000/– के मान से आवेदित भूमि की कुल कीमत 4,64,80,720/– रूपये होती है जिसका 1.6 गुणा बराबर राशि 7,43,69,152/– रूपये होती है। मौजा **बरखेरा खुमान** पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील सागर स्थित भूमि **खसरा नंबर 667 रकवा 75.76 हेक्टेयर** में से रकवा **52.78 हेक्टेयर** भूमि वनीकरण क्षतिपूर्ति हेतु वन विभाग को आवंटित की जाना प्रतिवेदित कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया।

P.T.O.

रा.प्र.क्रं.– 0127/अ–20(3)/वर्ष 2024–25

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर द्वारा प्रारूप–2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार तहसीलदार सागर–ग्रामीण के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये मौजा **बरखेरा खुमान** पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील सागर स्थित भूमि **खसरा नंबर 667 रकवा 75.76 हेक्टेयर** में से रकवा **52.78 हेक्टेयर** भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त होने से आवंटन किया जाना उचित है प्रस्तावित कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 16.12.2024 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मौजा **बरखेरा खुमान** पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील सागर स्थित शासकीय भूमि **खसरा नंबर 667 रकवा 75.76 हेक्टेयर** में से रकवा **52.78 हेक्टेयर** भूमि हस्तांतरण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/6–101/2019/सात–3 भोपाल दिनांक 05.01.2021 के अनुक्रम में संस्था द्वारा 7,43,69,152/– रूपये (सात करोड़ तैतालीस लाख उन्हत्तर हजार एक सौ वावन रूपये मात्र) शासन मद में जमा करने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः तहसीलदार सागर–ग्रामीण/अनुविभागीय अधिकारी सागर, नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :–

क्रं	ग्राम/तहसील का नाम	प.ह.नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.मे)	हस्तांतरित रकवा (हे.मे)	मद	विभाग का नाम
1	बरखेरा खुमान/सागर	28	667	75.76	52.78	शासकीय	वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
कुल योग–					**52.78**		

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(संदीप जी.आर.)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क्रं0/ 11020 /री0कले0/2024 सागर दिनांक 24 / 12 /2024

प्रतिलिपिः–

1. वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को सूचनार्थ।
2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरूस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।

P.T.O.

रा.प्र.क्रं.– 0127/अ–20(3)/वर्ष 2024–25

5. अधीक्षक भू–अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार, सागर–ग्रामीण जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्राधिकृत अधिकारी, ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला–सागर

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11155701323

ग्रामः बरखेरा खुमान			पटवारी हल्काः बरखेरा खुमान			तहसीलः सागर			जिलाः सागर		वर्षः 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1609053322 81S3QNDBLHQFH0	667/3 (S)		52.7800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0127/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 24/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के लिये

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2025.03.03 12:38:15 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11155701323

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 11155703597

वर्ष: 2024-25

दिनांक: 03-03-2025 12:38:56

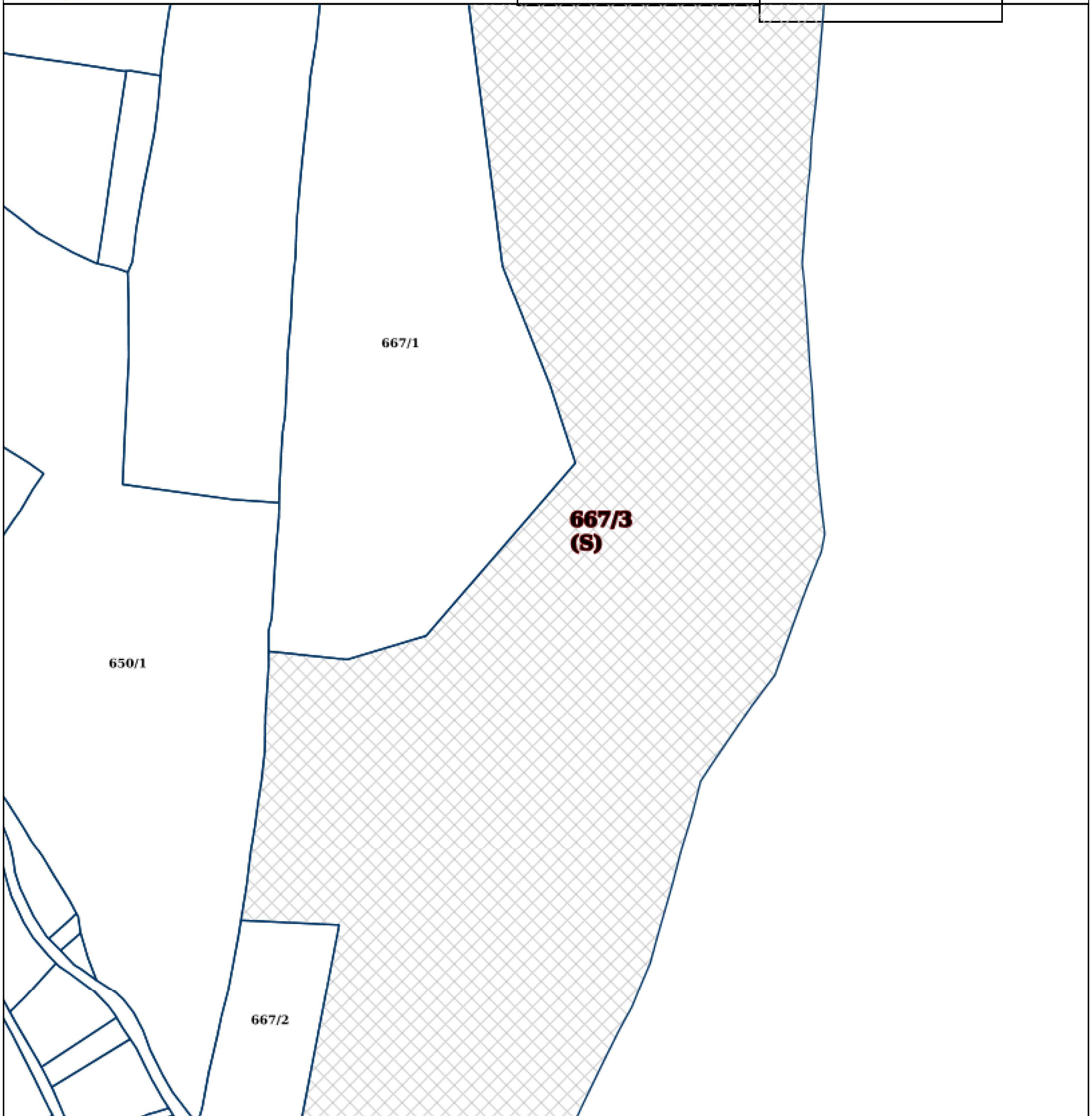

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	बरखेरा खुमान	बरखेरा खुमान	सागर	सागर

सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.श
667/3(S)	52.7800(हेक्ट.)	0

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2025.03.03 12:40:06 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy
CLR No. : 11155703597

(हस्ताक्षर)

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at https://mpbhulekh.gov.in, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.